भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3169
उत्तर दिनांक 11/03/2026 को दिया गया

दुर्लभ मृदा गलियारे

3169. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या हाल ही में आरंभ की गई योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को दुर्लभ मृदा गलियारे की स्थापना के लिए चिह्नित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित स्थानों और कार्यकलापों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केंद्र सरकार का इस योजना के भावी के चरणों में तिरुपति क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क), (ख) व (ग) केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध तटीय राज्यों में सभी संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे (कॉरिडोर) स्थापित करने हेतु समर्थन देने की घोषणा की गई। इन दुर्लभ मृदा गलियारों का उद्देश्य NdPr (नियोडिमियम-प्रसेओडिमियम) और समेरियम ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाकर तथा आरई चुम्बकों के उत्पादन की घरेलू मांग को बढ़ावा देकर भारत में एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दुर्लभ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है और साथ ही दुर्लभ मृदा तत्वों की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को समर्थन करना है। उचित परामर्श के साथ स्थान/क्षेत्र निर्धारित करने में राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी।

*****